भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *389

दिनांक 23.03.2021/ 2 चैत्र, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले

†*389. श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) उन जिलों में किये जा रहे विकास कार्य क्या हैं जिन्हें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के दर्जे से हाल ही में मुक्त किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे जिलों के लिये कोई विशेष सहायता कार्यक्रम, योजनाएं अथवा समेकित कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऑंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले सहित राज्य-वार उक्त जिलों को प्रदत्त वित्तीय एवं अन्य सहायता क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले' के संबंध में दिनांक 23.03.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *389 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ):

(i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सरकारों के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में मदद करती रही है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लागू की गई थी। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारियां सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। जहां, सुरक्षा की दृष्टि से, केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बटालियनें प्रदान करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां, उपकरण एवं हथियार, आसूचना का आदान-प्रदान करके, किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकार की सहायता करती है; वहीं विकास की दृष्टि से, केंद्र सरकार ने एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, बैंकों, डाक घरों के नेटवर्क में सुधार, कौशल विकास और शिक्षा सुविधाओं आदि के विभिन्न उपाय किए हैं।

(ii) भारत सरकार, वामपंथी उग्रवाद के आतंक से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम, विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के क्षमता निर्माण हेतु निधियां प्रदान कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत, निधियां वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, जिनमें आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, एसआरई स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया एक जिला भी शामिल है, में ऑपरेशनल उद्देश्यों और क्षमता निर्माण पर हुए व्यय के संबंध में राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिपूर्ति दावों के लिए राज्य-वार प्रदान की जाती हैं। पिछले 03 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(iii) वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को 'विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)' के अंतर्गत लोक अवसंरचना और सेवाओं की कमियों को पूरा करने हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में, 7 राज्यों के 30 जिले उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत कवर हैं। उक्त स्कीम को वर्ष 2017 में अनुमोदन प्रदान किया गया था और आज तक

राज्यों को 2541.24 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्तमान में, उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए 30 जिलों की सूची अनुलग्नक-।। में दी गई है।

(iv) विकास की दृष्टि से, फ्लैगशिप स्कीमों के अलावा, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क, संचार नेटवर्क में सुधार करने और वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न विशिष्ट पहलें की हैं:

i. सड़क आवश्यकता योजना-। के अंतर्गत 5422 किमी. सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इनमें से 4970 किमी. सड़कों का निर्माण हो गया है। इनमें से 2046 किमी. सड़कों का निर्माण अप्रैल, 2014 के बाद किया गया है।

ii. "एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)" को दिसम्बर, 2016 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, 9268 किमी. सड़कों की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से, 3060 किमी. सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

iii. संचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, मोबाइल टावर परियोजना के चरण-। में 2335 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने मई, 2018 में मोबाइल टावर परियोजना के चरण-।। में 4072 मोबाइल टावरों की स्थापना किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया है।

iv. इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन हेतु, पिछले 05 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1170 बैंक शाखाएं, 959 एटीएम खोले गए हैं और 12628 बैंकिंग कोरेसपोंडेंट (बीसी) नियुक्त किए गए हैं।

(v) नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, हिंसा में निरन्तर कमी हुई है। वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटना, जो वर्ष 2009 में सर्वाधिक 2258 थी, 70% घटकर वर्ष 2020 में 665 हो गई। इसी प्रकार, परिणामी मौतें (आम नागरिक + सुरक्षा बल), जो वर्ष 2010 में सर्वाधिक होकर 1005 थी, वर्ष 2020 में 82% घटकर 183 हो गई है। वामपंथी उग्रवादी हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी कमी हुई है। कथित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या 76 (2013) से घटकर 53 (2020) हो गई है। पिछले 03 वर्षों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:-

2018	2019	2020
60	61	53

******

अनुलग्नक-I

एसआरई (एलडब्ल्यूई) स्कीम, एसआईएस और एससीए के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

1. सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई/एलडब्ल्यूई) स्कीम

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियों की स्थिति				
राज्य	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**
आंध्र प्रदेश	21.04	11.60	37.23	8.96
बिहार	30.63	14.14	17.70	14.23
छत्तीसगढ़	92.75	54.53	120.81	140.61
झारखंड	93.37	64.54	123.52	56.32
केरल	-	2.94	2.83	-
मध्य प्रदेश	2.90	1.94	1.23	0.83
महाराष्ट्र	31.86	13.12	21.11	21.25
ओडिशा	125.82	12.72	12.81	8.80
तेलंगाना	17.22	6.26	16.12	9.00
उत्तर प्रदेश	7.29	7.15	4.45	3.22
पश्चिम बंगाल	22.12	11.07	9.44	3.73
कुल योग	**445.00**	**200.00**	**367.26**	**266.95**

2. विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	3.00	9.83
2	बिहार	8.00	12.38
3	छत्तीसगढ़	13.00	23.63
4	झारखंड	14.00	24.66
5	केरल	-	0.90
6	मध्य प्रदेश	2.90	0.71
7	महाराष्ट्र	3.00	7.50
8	ओडिशा	6.00	11.61
9	तेलंगाना	3.00	10.12
10.	उत्तर प्रदेश	-	1.35
कुल योग		**50.00**	**102.67**

3. वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

(करोड़ रु. में)

राज्य	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	5.00	33.33	20.00	14.25
बिहार	30.00	133.33	133.32	80.00
छत्तीसगढ़	40.00	266.67	266.64	71.25
झारखंड	80.00	433.33	433.29	199.00
महाराष्ट्र	5.00	33.33	20.00	0.00
ओडिशा	10.00	66.67	66.66	14.25
तेलंगाना	5.00	33.34	33.33	14.25
कुल	**175.00**	**1000.00**	**973.24**	**393.00**

लोक सभा ता. प्र. सं. *389 दिनांक 23.03.2021

अनुलग्नक-II

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	01	विशाखापटनम
2.	बिहार	04	औरंगाबाद
			गया
			जमुई
			लखीसराय
3.	छत्तीसगढ़	08	बीजापुर
			सुकमा
			बस्तर
			दंतेवाड़ा
			कांकेर
			नारायणपुर
			राजनंदगांव
			कोंडागांव
4.	झारखंड	13	गिरिडीह
			गुमला
			खूंटी
			लातेहार
			लोहारदगा
			सिमडेगा
			बोकारो
			चतरा
			रांची
			गढ़वा
			हजारीबाग
			पलामू
			पश्चिम सिंहभूम
5.	महाराष्ट्र	01	गढ़चिरोली
6.	ओडिशा	02	कोरापुट
			मलकानगिरी
7.	तेलंगाना	01	भद्राद्री-कोठागुडम
कुल		**30**	

******